

प्रेमसिंह बनाम विक्रमसिंह वगैरह
दावा क्रमांक 102/2022
जीसीएमएस क्रमांक 2022/175

1. प्रेमसिंह के हक बंट में मौजा गुजरियावास के खेत खसरा नम्बर 95 रकबा 0.3237 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 906 रकबा 2.3876 हैक्टेयर पूरा तथा मौजा जायल के खेत खसरा नम्बर 4102/1049 रकबा 0.5342 हैक्टेयर में से 0.2671 हैक्टेयर पिश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
 2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः विक्रमसिंह व महेन्द्रसिंह के संयुक्त हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नम्बर 4102/1049 रकबा 0.5342 हैक्टेयर में से 0.2671 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा गया है एवं मौजा जानवास के खेत खसरा नम्बर 1254 रकबा 1.2950 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
 3. प्रतिवादीगण संख्या 3 कंचन कंवर के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
- माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।



(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11.2.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल